संख्या– 670/सत्तर–2–2016–16(390)/2013टी.सी.–II

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 442/रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 22-12-2016

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2016

विषयः प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना हेतु रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक डिग्री–बजट/2836/2016–17, दिनांक 20–10–2016 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अधीन सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने, सुधार को प्रोत्साहित करने एवं दक्ष शिक्षकों को सेवा के बेहतर अवसर प्रदान करने एवं छात्रहित में उक्त पाठ्यक्रम को संचालित कर रहे पात्र एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा सीमित आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–53/सत्तर–2–2014–16 (390)/2013, दिनांक 5 फरवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या–242/सत्तर–2–2016–16(390)/2013, दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा लागू योजना हेतु (वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए) बजट व्यवस्था के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0–1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 50.00 (रू0 पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा संबंधित महाविद्यालय द्वारा दावा प्रस्तुत किये जाने पर योजना के शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(2) उक्त अनुदान/वित्तीय सहायता, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय–16क एव इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेश में उल्लिखित सहायक अनुदान के नियम लागू होंगे। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत योजना के संबंध में समय–समय पर जारी होने वाले शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपभोग का प्रमाण पत्र निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्परीक्षित कराकर संस्था द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

–2–

Draft-2016

(4) योजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि की स्वीकृति हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा समयान्तर्गत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उक्त धनराशि रू0 50.00 (रू0 पचास लाख मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–73 के लेखाशीर्षक–"2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–104–अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता–13–उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना–20–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी–1–746/दस–2016–231/2016 दिनांक 22–03–2016 के प्रस्तर–2(4) में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या– 670 (1)/सत्तर–2–2016–तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद–211001
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, संगम पैलेस, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11/नियोजन अनुभाग–4/राज्य योजना अनुभाग–1
(7) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(8) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(9) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
15.12.2016
(डा0 ध्रुव पाल)
अनु सचिव।